भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 915

उत्तर देने की तारीख 07 फरवरी, 2022

सोमवार, 18 माघ, 1943 (शक)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 0.3

†915 श्री रमेश चन्द्र माझी: **श्री कृपानाथ मल्लाह:**
श्री जयंत सिन्हा: **श्री मारगनी भरत:**

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 0.3 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) देश में उन जिलों की संख्या कितनी है, जहां जनवरी, 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चरण 0.3 आरंभ की गई है;

(ग) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 0.3 के लिए आवंटित, वितरित और उपयोग की जाने वाली धनराशि का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के चरण 0.1 से 0.3 के तहत लाभान्वित/प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है और असम, आंध्र प्रदेश तथा झारखंड सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ङ) पीएमकेवीवाई 0.3 की अब तक की राज्य-वार उपलब्धियों का ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) कुशल भारत मिशन के अंतर्गत, मंत्रालय ने पीएमकेवीवाई 1.0 और 2.0 के कार्यान्वयन के आकलन अध्ययनों और अनुभव के आधार पर 15.01.2021 को पीएमकेवीवाई यानी पीएमकेवीवाई 3.0 (2020-21) का नया और संशोधित संस्करण प्रारम्भ किया है। पीएमकेवीवाई के नए संस्करण यानी पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत, उम्मीदवारों के सूचित विकल्पों/आकांक्षाओं को प्राथमिकता दी गई है और यह उम्मीदवारों को स्थानीय नौकरियों के साथ स्थानीय कौशल का चयन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत बॉटम-अप दृष्टिकोण के साथ संचालित मांग को अपनाया गया है। जिला स्तर पर पीएमकेवीवाई 3.0 के कार्यान्वयन के लिए जिला कौशल समितियां (डीएससी) केंद्र बिंदु हैं। डीएससी को शिकायतें, यदि कोई हो, को दूर करने के अलावा जिला स्तरीय कौशल अंतराल और मांग आकलन, उम्मीदवारों के जुटाव और परामर्श, प्रशिक्षण बैचों

के गठन, प्रशिक्षण पश्चात सहायता और उम्मीदवारों को सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। पीएमकेवीवाई 3.0 की कुछ मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

i. यह स्कीम सामान्य लागत मानदंड और राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप है।
ii. प्रशिक्षण प्रदाताओं के भुगतान को किश्तों में विभाजित किया गया है, अर्थात् प्रशिक्षण बैचों के शुरू होने पर 30%, सफल प्रमाणन पर 40% और नियोजन सत्यापन पर 30%। अन्य प्रोत्साहन जैसे भोजन और आवास, नियोजन पश्चात सहायता, वाहन और अन्य सहायता सामान्य लागत मानदंडों के अनुसार हैं।
iii. उद्योगों में प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
iv. आईटीआई/स्कूल/विश्वविद्यालयों के साथ उपलब्ध बुनियादी ढांचे का परस्पर उपयोग।
v. शिक्षा मंत्रालय के समन्वय से स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की चरणबद्ध शुरूआत।

(ख) पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत, 31.12.2021 तक, देश भर के 711 जिलों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(ग) पीएमकेवीवाई 3.0 के दो घटक हैं, अर्थात्, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा केंद्रीय घटक और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा राज्य घटक। पीएमकेवीवाई के केंद्रीय घटक के तहत, राज्य-वार धन आवंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है। 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी, यानी एनएसडीसी को 644.27 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।

पीएमकेवीवाई के राज्य घटक के तहत, राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) के माध्यम से स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को धन और संबंधित वास्तविक लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन के लिए 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 40.60 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। पीएमकेवीवाई 3.0 के राज्य घटक के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित और वितरित की गई राज्य-वार निधि **अनुबंध-I** में दी गई है।

(घ) पीएमकेवीवाई के तहत लाभान्वित व्यक्तियों की शुरुआत से यानी 2015 से 31.12.2021 तक की असम, आंध्र प्रदेश और झारखंड राज्य सहित राज्य-वार और चरण-वार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ङ) कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान के बावजूद, देश भर में पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत 31.12.2021 तक 4.45 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध I

पीएमकेवीवाई 3.0 के राज्य घटक के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित और वितरित की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधि:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित निधि	वितरित निधि (किस्त 1)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	56,31,731	0
2.	आंध्र प्रदेश	8,21,48,593	2,46,44,578
3.	अरुणाचल प्रदेश	2,77,30,276	83,19,083
4.	असम	12,50,38,625	3,75,11,588
5.	बिहार	15,76,84,638	0
6.	चंडीगढ़	56,27,207	16,88,000
7.	छत्तीसगढ	4,86,20,767	0
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	83,37,718	0
9.	दिल्ली	5,39,56,705	1,61,87,000
10.	गोवा	77,21,598	0
11.	गुजरात	11,34,12,903	0
12.	हरियाणा	6,56,69,946	1,97,01,000
13.	हिमाचल प्रदेश	2,12,24,041	0
14.	जम्मू और कश्मीर	3,05,87,814	0
15.	झारखंड	5,94,60,722	0
16.	कर्नाटक	11,06,12,436	3,31,80,000
17.	केरल	6,75,05,953	2,02,52,000
18.	लद्दाख	12,82,351	0
19.	लक्षद्वीप	36,47,828	0
20.	मध्य प्रदेश	11,86,79,938	3,56,03,981
21.	महाराष्ट्र	20,04,99,852	6,01,50,000
22.	मणिपुर	2,74,71,892	82,41,568
23.	मेघालय	2,16,35,194	64,90,558
24.	मिजोरम	1,75,01,047	52,50,314
25.	नगालैंड	2,28,37,855	68,51,357
26.	उड़ीसा	7,82,65,870	0
27.	पुदुचेरी	77,26,122	0
28.	पंजाब	6,06,08,748	0
29.	राजस्थान	12,19,31,751	0
30.	सिक्किम	1,21,35,878	36,40,763
31.	तमिलनाडु	13,98,30,379	0
32.	तेलंगाना	8,57,76,758	2,57,33,000
33.	त्रिपुरा	2,53,49,140	0
34.	उत्तर प्रदेश	27,91,24,328	8,37,37,298
35.	उत्तराखंड	2,92,81,625	87,85,000
36.	पश्चिम बंगाल	12,77,72,103	0
योग		**2,37,23,30,332**	**40,59,67,088**

अनुबंध-II

31.12.2021 तक पीएमकेवीवाई 1.0, 2.0 और 3.0 के तहत लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार और चरण-वार संख्या:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशिक्षित/उन्मुख			
		पीएमकेवीवाई 1.0	पीएमकेवीवाई 2.0	पीएमकेवीवाई 3.0	योग
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	194	2,797	151	3,142
2.	आंध्र प्रदेश	1,36,635	3,00,610	10,392	4,47,637
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,017	73,188	8,681	82,886
4.	असम	33,408	6,54,610	20,790	7,08,808
5.	बिहार	92,047	5,01,505	23,965	6,17,517
6.	चंडीगढ़	5,052	20,460	926	26,438
7.	छत्तीसगढ	37,302	1,33,201	4,250	1,74,753
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,05,772	3,77,441	15,307	4,98,520
9.	दिल्ली	499	8,786	536	9,821
10.	गोवा	43,999	3,32,584	26,782	4,03,365
11.	गुजरात	86,446	5,38,692	14,182	6,39,320
12.	हरियाणा	22,891	1,13,133	8,674	1,44,698
13.	हिमाचल प्रदेश	18,177	2,63,444	15,864	2,97,485
14.	जम्मू और कश्मीर	28,773	2,29,161	7,008	2,64,942
15.	झारखंड	77,051	4,06,169	22,853	5,06,073
16.	कर्नाटक	15,339	2,20,753	9,699	2,45,791
17.	केरल	0	2,267	590	2,857
18.	लद्दाख	0	150	120	270
19.	लक्षद्वीप	1,68,898	6,83,006	30,311	8,82,215
20.	मध्य प्रदेश	1,09,435	10,52,980	29,118	11,91,533
21.	महाराष्ट्र	1,603	80,499	4,431	86,533
22.	मणिपुर	1,899	41,355	1,649	44,903
23.	मेघालय	1,030	25,412	4,125	30,567
24.	मिजोरम	1,271	34,980	783	37,034
25.	नगालैंड	61,357	4,65,966	11,889	5,39,212
26.	उड़ीसा	7,301	20,023	2,164	29,488
27.	पुदुचेरी	84,620	3,21,821	19,690	4,26,131
28.	पंजाब	1,33,587	9,17,562	32,078	10,83,227
29.	राजस्थान	886	11,099	1,307	13,292
30.	सिक्किम	1,69,214	5,51,251	24,122	7,44,587
31.	तमिलनाडु	1,08,931	2,91,613	12,093	4,12,637
32.	तेलंगाना	488	9,363	252	10,103
33.	त्रिपुरा	15,140	1,18,513	2,781	1,36,434
34.	उत्तर प्रदेश	2,72,373	15,92,668	52,201	19,17,242
35.	उत्तराखंड	14,301	1,74,762	10,186	1,99,249
36.	पश्चिम बंगाल	1,29,080	4,26,377	15,375	5,70,832
योग		**19,86,016**	**1,09,98,201**	**4,45,325**	**1,34,29,542**

****